

दिनांक: _____

सेवा में,
एस्टेट मैनेजर
प्रतीक लॉरेल
जीएच-001, सेक्टर-120, नोएडा

विषय:- बाहरी ठेकेदार की सेवाएं लेने के सम्बन्ध में।

श्रीमान,

मैं अपने फ्लैटका काम करने के लिए ठेकेदार की सेवाएं लेना चाहता हूं। ठेकेदार का विवरण नीचे दिया गया है।

कार्य का विवरण

सिविल का काम पेंट का काम बढ़ई का काम प्लंबिंग का काम इलेक्ट्रिकल का काम

कार्य का विवरण

कार्य करने की अवधि

दिनांक से दिन.....

ठेकेदार के कर्मचारियों का विवरण

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	आयु	मोबाइल नं.	पहचान प्रमाण
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

रेसिडेंट का विवरण

नाम _____

पता _____

हस्ताक्षर _____

मोबाइल _____

ठेकेदार का विवरण

नाम _____

पता _____

हस्ताक्षर _____

मोबाइल _____

एस्टेट मैनेजर

हस्ताक्षर _____

प्रतीक लॉरेल में कार्य करने के नियम

फ्लैट में कार्य करने का समय	लिफ्ट से मलबा उतारने का समय
सुबह 9:00 से शाम 6:00 बजे तक	सुबह - 11:00 बजे से 1:00 बजे तक दोपहर - 3:30 बजे से 4:30 बजे तक
कर्मचारी यदि 6:00 बजे के बाद बिना अनुमति के कार्य करते पाए गए तो ठेकेदार पर रुपये 5000 जुर्माना लगेगा।	मलबा उतारने के लिए केवल लिफ्ट ऑपरेटर की उपस्थिति में ही सर्विस लिफ्ट का ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा ठेकेदार पर रुपये 10000 जुर्माना लगेगा।

- यूपी अपार्टमेंट अधिनियम के कानूनों के अनुसार किसी भी बीम, कॉलम, एक्सटीरियर, पेंट सहित अपार्टमेंट बिल्डिंग के अग्रभाग को बदला नहीं जा सकता है अगर कोई भी छेड़छाड़ हुई तो ठेकेदार के ऊपर रुपये 10000 जुर्माना लगेगा तथा ठेकेदार को भविष्य में सोसाइटी के अंदर किसी भी कार्य को करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
- कोई भी कर्मचारी यदि पान, गुटखा, तंबाकू खाता या थूकता पाया गया तो ठेकेदार पर रुपये 2000 जुर्माना लगेगा।
- कॉमन एरिया में कोई कार्य भी नहीं किया जाएगा। ठेकेदार फ्लैट की किसी भी सामग्री को कॉमन एरिया में नहीं रखेगा। अगर कॉमन एरिया की बिजली उपयोग करते पाए गये तो ठेकेदार के ऊपर रुपये 5000 जुर्माना लगेगा।
- फ्लैट का मलबा या अन्य किसी सामान के निकालने की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं करेगा। फ्लैट के कार्य से प्रतीक लॉरेल परिसर के बाहर ठेकेदार के द्वारा किसी प्रकार की अपशिष्ट सामग्री उत्पन्न होती है तो उस का जुर्माना ठेकेदार स्वयं वहन करेगा।
- कर्मचारी यदि नियमित अवधि के बाद बिना अनुमति के कार्य करते हुए पाए गये तो ठेकेदार के ऊपर रुपये 5000 जुर्माना लगेगा।
- फ्लैट की बालकनी में काम करते हुए कर्मचारियों का सुरक्षा रस्सी पहनना तथा बालकनी को हरी जाली से कवर करना अनिवार्य है ऐसा ना करने पर ठेकेदार के ऊपर रुपये 5000 जुर्माना लगेगा।
- फ्लैट में लाए गए सामान एवम उपकरणों का विवरण (सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण वाली सूची) मेन गेट और बैक गेट पर जमा करवाना अनिवार्य है।
- फ्लैट के अंदर कार्य सभी सुरक्षा सावधानियों के साथ अनुभवी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। प्रतीक समूह/निवासी/अन्य ठेकेदार की संपत्ति एवम उपकरण को किसी प्रकार की क्षति के लिए ठेकेदार जिम्मेदार रहेगा।
- किसी भी प्लंबिंग शाफ्ट विंडो को बिना अनुमति के नहीं हटाना है
- हिल्टी मशीन का प्रयोग नहीं करना है यदि कोई प्रयोग करता पाया गया तो ठेकेदार के ऊपर रुपये 5000 जुर्माना लगेगा।
- अगर बिना परमिशन के किसी भी कांटेक्टर का लेबर अंदर पाया गया तो 1000 रूपये पर लेबर जुर्माना लगेगा।
- बेसमेंट इनर सर्कल, सेंट्रल पार्क, में किसी भी ठेकेदार या उसके कर्मचारी का जाना सख्त मना है। यदि कोई भी ठेकेदार या उसके कर्मचारी बेसमेंट में पाये जाते हैं तो उन पर रुपये 500 जुर्माना लगेगा।
- यदि कोई भी ठेकेदार या उसके कर्मचारी लिफ्ट से मलबा बेसमेंट में ले जाते हुए या बेसमेंट में वाहन से मलबा लोडिंग या अनलोडिंग करता पाया गया तो उस पर रुपये 2000 जुर्माना लगेगा।
- हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम ऊपर लिखे सभी नियमों का पालन करेंगे।
- वैलिंग मशीन कानूनों के अनुसार केवल विशिष्ट स्थान की अनुमति देती है
- सभी कर्मचारियों का आधार लगाना अनिवार्य है।

रेसिडेंट हस्ताक्षर _____

ठेकेदार हस्ताक्षर _____

एस्टेट मैनेजर
हस्ताक्षर _____